Services Housing Co-operative Society Limited
Ashok Nagar,Ranchi-834002
E_Mail – support@ashoknagarranchi.com

आज दिनांक 28.08.2025 को निदेशक मण्डल की बैठक डॉ0 माधव शरण सिंह की अध्यक्षता में आहूत हुई । इस बैठक में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1–	डॉ0 माधव –	अध्यक्ष –	उपस्थित
2–	श्री के0 पी0 पाण्डेय	उपाध्यक्ष–	अनुपस्थित
3–	श्री अनिल शंकर	अ0 सचिव	अनुपस्थित
4–	श्री शंकर प्रसाद वर्मा	सं0 सचिव	अनुपस्थित
5–	श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य	निदेशक	उपस्थित
6–	श्री प्रताप सिंह –	निदेशक	उपस्थित
7–	डॉ0 श्रीमति रीता लाल–	निदेशक	अनुपस्थित
8–	श्रीमति शोभा कुमारी –	निदेशक	अनुपस्थित
9–	श्रीमति कृष्णा श्रीवास्तव	निदेशक	अनुपस्थित
10–	डॉ0 श्रीमति जुबी जेन केशरी	निदेशक	उपस्थित
11–	श्रीमति गुंजन सिंह,	मनोनित निदेशक	उपस्थित

कार्यावली के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी :–

कार्यावली संख्या–1– गत बैठक में लिये गये निर्णय को सम्पुष्ट किया गया ।

कार्यावली संख्या–2– सोसाईटी के बायलॉज की उपविधि **25(a) & 25(b)** जो निम्नवत है :– **25(a) " The Chairman Shall have general control over all the affairs of the Society.**

25(b) The Vice-Chairman shall excercise all the powers of the Chairman when the later is absent and when such powers have been delegated to him in writing. He/She shall preside over the meeting of the Board of Directors, whenever the chairman is absent. "

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में अनाधिकृत रूप से अध्यक्ष की सहमति के वगैर एवं अध्यक्ष के कार्यालय में उपस्थित रहने के उपरान्त अपने स्तर से अवैतनिक सचिव द्वारा किये गये बैठक दिनांक 13.08.25 में लिए गए सभी निर्णयों को निरस्त करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जो निम्न है :–

(1) अध्यक्ष द्वारा कार्यालय में उपस्थित रहते हुए अवैतनिक सचिव द्वारा द्वारा बैठक की अध्यक्षता करना जिसमें दिनांक 11.05.2025, दिनांक 16.05.2025, दिनांक 25.05.2025, दिनांक 08,06.2025, दिनाक 13.07.2025 एवं दिनांक 03.08.2025 की बैठकों में लिये गये निर्णयों को अमान्य करते हुए रद्द करने का निर्णय

(2) अध्यक्ष द्वारा अवैध तरीके से अवैतनिक सचिव के मुख्यालय में उपस्थित रहते हुए सोसाईटी के खाता संचालन हेतु निदेशक मण्डल के दो सदस्यों को नियुक्त करने सम्बन्धी निर्णय को अमान्त करते हुए रद्द करने का निर्णय

(3) अध्यक्ष द्वारा सहकारिता अधिनियम एवं बायलॉज का उल्लंघन करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद पर सामान्य जाति के सदस्य श्रीमति गुंजन सिंह के मनोनयन को अनुचित एवं गैर कानूनी मानते हुए रद्द करने का निर्णय ।

(4) प्लॉट संख्या 11/सी के सम्बन्ध में किये गये कार्रवाई का समर्थन तथा इस सम्बन्ध में अग्रतर कार्रवाई हेतु विचारार्थ आमसभा में रखने का निर्णय ।

(5) 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करने के सम्बन्ध में निर्णय । अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 03.08.2025 को सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया जा चुका था ।

(6) अवैतनिक सचिव द्वारा पास किया गया एवं उपस्थापित प्रत्यार्पण,पारिवारिक सदस्यता हस्तान्तरण तथा नामांकण संबंधी सभी निर्णयां को मान्यता प्रदान करने का निर्णय ।

(7) प्लॉट संख्या 220/सी की सदस्या श्रीमति कुसुम देवी द्वारा अपने सहोदर भाई श्री अजय भगत के नाम पारिवारिक सदस्यता हस्तान्तरण की स्वीकृति का निर्णय ।

(8) श्री छोटू स्वांसी दैनिक मजदूर के पुत्र के असामयिक निधन के कारण उसके अंतिम संस्कार में हुए व्यय की राशि 20,000/–(बीस हजार)रूपये **Common Good Fund** से भुगतान का निर्णय

(9) श्री संतोष लोहरा, चालक को बिमारी की चिकित्सा में हुए व्यय की राशि 20,000/–(बीस हजार) रूपये **Common Good Fund** से भुगतान करने का निर्णय।

कार्यावली संख्या–3– बैंको द्वारा बोर्ड के निर्णय एवं निबंधक न्यायालय के आदेश के विपरित लेखा संचालन को बाधित करने के कारण वेतन, मानदेय एवं अन्य सभी प्रकार के भुगतान लम्बित हैं । इसपर गहन विमर्श किया गया एवं मानवीय आधार पर सर्वसम्मति से दिनांक 13.07.2025 को बोर्ड मे लिए गए निर्णय कंडिका अन्यान्य(ग) को **abeyance** में डालते हुए पूर्व की भांति माह जुलाई तक का वेतन, मानदेय, बिजली विपत्र, सुरक्षा एजेन्सी एस0आई0एस0, जलापूर्ति आदि सभी आवश्यक भुगतान करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या–4– **Bye-Laws** की उपविधि 24 के आलोक में डॉ0 श्रीमति रीता लाल एवं श्रीमति कृष्णा श्रीवास्तव, सदस्य निदेशक मण्डल को लगातार बोर्ड की बैठक में बिना कारण अनुपस्थित रहने के बावत पत्रांक 32 एवं 33 दिनांक 29.07.2025 तथा पत्रांक 49 एवं 50 दिनांक 06.08.2025 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु पत्र निर्गत किया गया, परन्तु उनकी ओर से कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है । निर्णय लिया गया कि तीन दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण हेतु अंतिम रूप से स्मार दिया जाय । यदि तीन दिनों के अन्दर अनुपस्थिति के कारणों का स्पष्टीकरण प्राप्त नही हो जाता है,तो **Bye-Laws** की उपविधि 24 जो निम्नवत है :– " **If any elected member of the Board of**

Directors absents himself/herself for four consecutive meetings of the Board of Directors without sufficient reasons and his/her clarification about his/her above continued absence on four consecutive occasions are not acceptable to the Board of Directors the said member will cease to be a member of the Board of Directors. " निदेशक मण्डल के सदस्य के रूप में उनकी सदस्यता **Cease** समझा जायगा ।

कार्यावली संख्या–5– अपीलवाद संख्या 5/25 एवं 11/25 में पारित अंतरिम आदेश के बावत बैंक संचालन हेतु **Bye-Laws** के उपविधि 26 जो निम्नवत है :–

26(ii) The Chairman or the Vice Chairman and the Secretary or the Secretary and two members of the Board duly authorised by the Board of Directors shall be competent to sign cheques and pay orders of any value subject to the limit of heads of expenditure sanctioned by the Board of Directors and approved by the General Body. In the situation when Secretary goes out of station for a period of exceeding 15 days, the Chairman/Vice-Chairman and two members of the Board of Directors duly authorised by the Board of Directors will sign the Cheques and pay orders."

इस आलोक में पुनः बैंक का खाता सचालन हेतु पत्र देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।

दिनांक 13.07.25 को निदेशक मण्डल की बैठक में बैंक खाता संचालन से सम्बन्धित कार्यवाही कंडिका अन्यान्य (ग) में लिये गये निर्णय को मानवीय एवं अति आवश्यक कार्य यथा मानदेय, विद्युत विपत्र भुगतान, जलापूर्ति विपत्र भुगतान, सुरक्षा एजेन्सी से सम्बन्धित विपत्रों का भुगतान विशेष परिस्थिति में पूर्व की भांति करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।

<u>कार्यावली संख्या–6–</u> स्टेट बैंक द्वारा प्रेषित पत्र पर विचार किया गया । इनके द्वारा निर्गत पत्र निबंधक न्यायालय के अंतरिम आदेश एवं बोर्ड के निर्णय के विपरित अनुपालन किया गया है । यह घोर निन्दनीय है और सम्बन्धित बैंक मैनेजर को **Displeasure Communicate** किया जाय एवं निर्गत आदेश को वापस लेते हुए बोर्ड के निर्णय के आलोक में तुरंत कार्रवाई करते हुए बैंक संचालन सम्बन्धी संशोधित पत्र निर्गत करने के पत्र लिखा जाय ।

<u>कार्यावली संख्या–7–</u> सहकारिता नियमावली के आलोक में वित्तीय वर्ष समाप्ति के छह माह के अन्दर सोसाईटी का अंकेक्षित लेखा आमसभा से अनुमोदन प्राप्त कर सहकारिता विभाग को भेजा जाना है । 2024–25 का अंकेक्षित लेखा पर विचार विमर्श के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बसंत कुमार भट्टाचार्य के नेतृत्व में 2025–26 का पूर्ण वार्षिक बजट तथा 2026–27 के प्रथम चार माह का बजट तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर संचिका में प्रस्तुत करें, जिसे अगले निदेशक मण्डल की बैठक में निर्णय लेकर माह अक्टूबर में वार्षिक आमसभा की बैठक निर्धारित कर अनुमोदन प्राप्त की जायेगी ।
बजट निर्माण में श्री मुक्तेश्वर लाल, प्रधान लिपिक एवं श्री आयुष कुमार, सोसाईटी अभियंता सहयोग करेंगे ।

<u>कार्यावली संख्या–8–</u> रोड नं0 1 के गेट के सामने के कच्चे नाले में बराबर कचड़ा जमा हो जाता है । उसकी सफाई आवश्यक है एवं सोसाईटी के मजदूर के द्वारा उसका स्लोप मेन्टेन हेतु श्री आयुष कुमार, सोसाईटी अभियंता को निर्देश दिया गया । यह कार्य तुरंत प्रारम्भ कराया जाय ।

<u>कार्यावली संख्या–9–</u> विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि अवैतनिक सचिव द्वारा **Act, Rules, Bye-Laws** के विपरित कार्य किया जाता है । यह बहुत गंभीर मामला है । अपने कर्तव्यों का पालन भी ठीक तरीके से नही करते हैं । बोर्ड के बैठक आदि में व्यवधान डालते हैं। बैठकों में लिये गये निर्णयों का अनुपालन नही करते है, और बैठक की सूचना प्राप्त होने के बाद भी बैठक में भाग नही लेते हैं । विगत छः–सात महीनों के इनके क्रियाकलापों की

समीक्षा की जाय एवं एक प्रतिवेदन तैयार करने का निर्णय लिया गया । अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निदेशक मण्डल के बैठकों के विरूद्ध पत्राचार करते हैं, जो प्रथम दृष्टया गैर वैधानिक प्रतीत होता है । अवैतनिक सचिव को कोई स्वतंत्र शक्ति सोसाईटी के क्रियाकलापों के कार्यान्वयन में प्राप्त नही है । इनके द्वारा बायलॉज के नियमों का उल्लंघन किया जाता है ।

<u>कार्यावली संख्या—10—</u> बैठक में चूँकि निदेशक मण्डल में कुछ सदस्य बिना किसी कारण भाग नही लेते हैं, जिसके कारण से सोसाईटी के विकास के लिए किये जानेवाले प्रयाश में बाधा उत्पन्न होता है ।

सोसाईटी के कार्यो का सुचारू कार्यान्वयन हेतु झारखण्ड सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम 2015 **(Jharkhand Act 21, 2015)** के पारा 16 के **4(b)** में यह प्रावधानित किया गया है, कि आवश्यकतानुसार निदेशक मण्डल द्वारा बैंकिंग, मैनेजमेंट या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु समिति के सदस्यों में से दो सदस्य को **Co-opt** किया जा सकता है । इस आलोक में श्रीमति गुंजन सिंह को पूर्व में निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 08.06.25 में **Co-opt** किया गया है । सोसाईटी की दूसरी सदस्या श्रीमति सराज बाला वर्मा, 287/सी. जो योग्य एवं शैक्षणिक स्तर पर विशिष्ट हैं, को सर्वसम्मति से **Co-opt** करने का निर्णय लिया गया ।

<u>कार्यावली संख्या—11—</u> श्री परमात्मा सिंह, सदस्य 230/बी के निधन के फलस्वरूप नामांकण के आधार पर उनकी पत्नी श्रीमति शशि सिंह को कर्त्ता सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया।

<u>कार्यावली संख्या–12–</u> श्री संतोष कुमार त्रिपाठी, सह–सदस्य एवं श्री रमेश कुमार त्रिपाठी, सह–सदस्य प्लॉट संख्या– 374/बी के निधन के फलस्वरूप उनकी पत्नी क्रमशः श्रीमति रेणु त्रिपाठी एवं श्रीमति आशा त्रिपाठी को सह–सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया ।

अन्यान्य (क) पूर्व में पारित बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के चार माह अर्थात जुलाई 2025 तक का ही भुगतान किया जा सकता है । सोसाईटी के कर्मचारियों का मानदेय एवं वेतन भुगतान हेतु विशेष परिस्थिति में माह अगस्त एवं सितम्बर 2025 का कर्मचारियों का मानदेय एवं वेतन आमसभा से स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

(ख) प्रधान लिपिक यह सुनिश्चित करेंगे कि बैठक की सूचना/कार्यावली/कार्यवाही जिला सहकारिता पदाधिकारी, राँची एवं **online Website** पर **upload** करेंगे ।

(ग) बोर्ड में निर्णय लिया गया, कि विशेष परिस्थिति में जैसे जलापूर्ति/ बिजली विपत्र का भुगतान प्राप्त कैश से किया जाय । अवैतनिक सचिव मुख्यालय से बाहर हैं, अतः बिजली विपत्र भुगतान हेतु नगद राशि जमा करने के संदर्भ में निदेशक श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य से संचिका में अनुमोदन प्राप्त कर आयुष कुमार, सोसाईटी अभियंता को अग्रिम उपलब्ध करायेंगे एवं श्री कुमार विद्युत विपत्र **(Smart meter Prepaid)** का विपत्र जमा कर सोसाईटी के लेखा शाखा में जमा कर समायोजना करायेंगे । लेखा लिपिक सूश्री नीना सिन्हा इसका अनुपालन करेंगे ।

ह0/–
(डॉ0 माधव)
अध्यक्ष

ज्ञापांक :– 59 दिनांक :– 28/08/2025

प्रतिलिपि– निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित ।

(डॉ0 माधव)
अध्यक्ष

ज्ञापांक :– 59 दिनांक :– 28/08/2025

प्रतिलिपि – जिला सहकारिता पदाधिकारी, राँची/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

(डॉ0 माधव)
अध्यक्ष